राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2478 / 2024

निर्मला वेष्णव

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर वित्त भवन, ज्योतिनगर, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
3. अधीक्षणा अभियंताा पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटर शेड रोल कम डाटा सेंटर, भीलवाड़ा।
4. अति. निदेशक (कार्मिक) निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला भीलवाड़ा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2024
आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 02.07.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपने पैतृक विभाग निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कोष एवं लेखा विभाग का कार्मिक है। अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबंधक द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के संबंध में उसके पैतृक विभाग द्वारा ही एपीओ अथवा पदस्थापन के आदेश पारित किये जा सकते हैं।
3. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 02.07.2024 पारित किये जाने के उपरांत निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा कार्यालय

आदेश दिनांक 11.07.2024 पारित किया जा चुका है, जिसके द्वारा कोष एवं लेखा विभाग द्वारा भी अपीलार्थी को आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया है। ऐसे में अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबंधक द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के कार्यमुक्ति का आदेश अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक विभाग द्वारा पारित किया गया हैं, जो आदेश पारित करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में जो कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 11.07.2024 है, वह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन कराने के पश्चात पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं।

5. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)